

देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) से सम्बंधित 01 से 17 बिन्दुओं की सूचना देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा।

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ दो जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मॉगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत आन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4- विहित सीमा के अर्न्तगत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6- दस्तावेजो का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

1. कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
2. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
3. पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
4. शासन/अन्य के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
5. अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

14- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

15- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16- परिक्षेत्र स्तर पर जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्रीमती कंचन अरुण बाला	निरीक्षक पर्यवेक्षण / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मॉगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित किया जाना।
2	श्री अशोक कुमार कुशवाहा	एस0आई0एम0 / जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
3	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	पी0आर0ओ0 / सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
4	श्री अवधेश कुमार	आरक्षी ना0पु0	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्युटर पर अद्यतन करना।
5	श्री आशीष शुक्ल	आरक्षी ना0पु0	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्युटर पर अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अशा0पत्र संख्या:-सीओडी-ज0सू0-2020 /

दिनांक गोण्डा दिसम्बर, 2020

AB
21-12-2020
जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
देवीपाटन परिक्षेत्र, उ0प्र0 गोण्डा।